



बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना—800 014
 संख्या व.सं./43/2022—**1072**

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
 —सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
 बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
 बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक—**15/12/2022**

विषय— गया जिलान्तर्गत NH-120 (गया बाईपास) 92.935—99.685 कि०मी० पथ के चौड़ीकरण एवं
 सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 25.65 हेठले वन भूमि अपयोजन
 प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि गया जिलान्तर्गत NH-120 (गया बाईपास) 92.935—99.685 कि०मी० पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 25.65 हेठले वन भूमि अपयोजन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, गया का प्रस्ताव जाँचोपरान्त वन संरक्षक, गया अंचल, गया के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 400 (ई०) दिनांक 31.12.1996 द्वारा “सुरक्षित वन” के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 25.65 हेठले वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव है।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग-II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.1 एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 25.65 हेठले वन भूमि का अपयोजन होना है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया के पत्रांक 5382 दिनांक 04.11.2022 के माध्यम से क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना द्वारा अनुमोदित वृक्ष सुरक्षा योजना के आलोक में पारियोजना निर्माण के क्रम में कुल 1289 वृक्ष प्रभावित होंगे जिसमें से परियोजना निर्माण के क्रम में 163 वृक्षों का पातन एवं 1126 वृक्षों का पुनर्स्थापन प्रस्तावित किया गया है।

4. अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

5. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र Stage-I स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन के साथ भेजा जायेगा।

6. परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 25.65 हेठो अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 52.00 हेठो अवकृष्ट वन भूमि को गया वन प्रमंडल अन्तर्गत गया वन प्रक्षेत्र के सोहेपुर (PF) को चिन्हित कर पाँच वर्षीय वृक्षारोपण प्राक्कलन तैयार किया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है, का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

7. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है-

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 25.65 हेठो वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में ₹ 0 9,57780 लाख प्रति हेठो के दर से ₹ 0 2,45,67,057/- (रूपये दो करोड़ पैतालीस लाख सड़सठ हजार सनतावन) मात्र को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 25.65 हेठो वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये गया वन प्रमंडलन्तर्गत 52.00 हेठो अवकृष्ट वन भूमि सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए ₹ 0 82,88,236/- (रूपये बैरासी लाख अटासी हजार दौ सौ छत्तीस) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है, के आलोक में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अद्यतन मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1492/- रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

₹ 0/-

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक— व.सं./ 43 / 2022- १०७२ दिनांक— १५/१२/२०२२

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ, निर्माण विभाग, गया/वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

गया जिलान्तर्गत NH-120 (गया बाईपास) 92.935—99.685 कि०मी० पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 25.65 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव का चेक लिस्ट-

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र—I	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित वन भूमि का जियों रेफेरेन्स मैप	संलग्न।
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-II	संलग्न।
6	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
7	परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि की गणना विवरणी।	संलग्न।
8	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन।	संलग्न।
9	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा स्थल क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त है से संबंधित प्रमाण पत्र	संलग्न।
10	वन संरक्षक, गया अंचल, गया द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-III	संलग्न।
11	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-IV	संलग्न।

15/12/22

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।